प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक-05.09.2026**

थाना रूरा पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा रेकी कर चोरी की घटना कारित करने वाले गिरोह का किया गया भण्डाफोड़, 06 शातिर चोर गिरफ्तार।

अभियुक्तों के कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण, 97 हजार रुपये नगद, 06 मोबाइल फोन, अवैध असलहा-कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो कार हुई बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 04.09.2026 को थाना रूरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 1-1.5 महीने पहले थाना रुरा क्षेत्र के ग्राम कठारा, कस्बा रुरा में चोरी की घटनाऐं करने वाला एक सक्रिय गिरोह फिर से रेकी कर चोरी करने की फिराक में आस-पास के क्षेत्रों में सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाडी से घूम रहा है, और इस समय गेंदामऊ इन्जुआरामपुर रोड पर चोरों की टोली खड़ी हुई है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना रूरा पुलिस द्वारा इन्जुआरामपुर रोड की ओर चलने पर अन्डरपास पार करने के उपरान्त टावर से करीब 200 मीटर आगे इंजुआरामपुर गैंदामऊ चौराहा मार्ग पर पुलिस गाडियों की लाइट में एक सफेद स्कार्पियो गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया और स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्तियों को किसी प्रकार से भागने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उसी अवस्था में बैठाकर गाडी में बैठे हुए व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो-

पहले व्यक्ति ने अपना नाम नाम नौशाद अली उर्फ छोटे अली पुत्र हबीब अली निवासी ग्राम देवरांव थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 24 वर्ष, जिसकी जामा तलाशी से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 मिस कारतूस तथा 02 तोड़िया सफेद धातु, 01 नोज पिन पीली धातु (जिनके बारे में बताया कि ये कठारा गांव में चोरी के माल के हैं), 01 तोड़िया सफेद धातु (कस्बा रूरा एचडीएफसी बैंक के सामने वाले घर में चोरी के माल की है), 02 सिक्के सफेद धातु (जिनके बारे में बताया कि पिछले साल अक्टूबर में वंसनपुरवा अकबरपुर में की गयी चोरी के हैं), 01 तोड़िया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मूसानगर से चोरी की थी), 01 तोड़िया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि चौकी संदलपुर क्षेत्र के एक गांव से चोरी की थी), 02 हजार रुपये (जिनके बारे में बताया कि थाना भोगनीपुर में चोरी की थी ये उसी चोरी के बचे हुए रुपये हैं), 01 कढ़ा सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि थाना बरौर में चोरी की थी ये उसी चोरी का कढा है), गाडी के डेस्कबोर्ड पर रखा 01 मोबाइल बरामद हुआ।

दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अरमान उर्फ अदनान पुत्र कल्लू खाँ निवासी पक्का बाग साईं बिहार कॉलोनी थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष बताया तथा जामा तलाशी से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 तोडिया सफेद धातु (जिनके बारे में बताया कि 01 तोडिया कठारा गांव 01 तोडिया कस्बा रुरा एचडीएफसी बैंक के सामने वाले घर में चोरी की है), 02 सिक्के सफेद धातु (जिनके बारे में बताया कि पिछले साल अक्टूबर में वंसनपुरवा अकबरपुर में की गयी चोरी के हैं), 01 तोडिया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि मैंने ये मूसानगर से चोरी की थी), 03 हजार रुपये (जिनके बारे में बताया कि चौकी संदलपुर क्षेत्र के एक गांव से चोरी की थी, ये उसी चोरी के बचे हुए रूपये हैं), 01 नोज पिन पीली धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मैंने थाना भोगनीपुर से चोरी की थी), सफेद धातु का 01 गुच्छा कमर पेटी का हिस्सा (जिसके बारे में बताया कि थाना क्षेत्र बरौर में चोरी की थी ये उसी चोरी का शेयर है) बरामद हुआ।

तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनुज यादव पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम गहेसर थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र 27 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से 03 हजार रूपये (जिनके बारे में बताया कि ये रुपये मैंने कस्बा रुरा में एचडीएफसी बैंक के सामने वाले घर से चोरी किये थे), 01 पायल सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मैंने कठारा गांव से चोरी की थी), 01 तोडिया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मैंने मूसानगर से चोरी की थी), अन्य जेब से 02 हजार रूपये (जिनके बारे में बताया कि ये मैंने मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव से चोरी किये थे), अन्य जेब से 06 हजार रूपये (जिनके बारे में बताया कि ये मैंने भोगनीपुर थाना क्षेत्र से चोरी की थी, उसी चोरी के बचे हुए रूपये हैं), सफेद धातु का 01 गुच्छा कमर पेटी का हिस्सा (जिसके बारे में बताया कि ये बरौर से चोरी की थी, उसी चोरी का मेरे हिस्से का बचा हुआ गुच्छा है), 02 मोबाइल फोन बरामद हुए।

चौथे व्यक्ति ने अपना नाम आजाद उर्फ रजोल पुत्र हबीब अली निवासी देवरांव थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 19 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से 03 हजार रूपये (जिनके बारे में बताया कि मैंने कस्बा रुरा में एचडीएफसी बैंक के सामने वाले घर से चोरी किये थे उसी चोरी के बचे हुए रुपये हैं), 02 सिक्के सफेद धातु के (जिनके बारे में बताया कि पिछले साल अक्टूबर में वंसनपुरवा अकबरपुर में की गयी चोरी के हैं), 01 तोडिया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मैंने कठारा गांव से चोरी की थी), 01 तोड़िया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि ये मैंने मूसानगर से चोरी की थी), अन्य जेब से 02 हजार रूपये (जिनके बारे में बताया कि ये मैंने भोगनीपुर से चोरी की थी, उसी चोरी के बचे हुए रूपये हैं), 01 तोड़िया सफेद धातु (जिसके बारे में बताया कि चौकी संदलपुर क्षेत्र से चोरी की थी), सफेद धातु का 01 गुच्छा कमर पेटी का हिस्सा (जिसके बारे में बताया कि ये बरौर से चोरी की थी, ये उसी चोरी का मेरे हिस्से का बचा हुआ गुच्छा है) तथा 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

पाँचवें व्यक्ति ने अपना नाम अमन अली पुत्र रहीश अली निवासी तकिया मोहल्ला दलेल नगर मुरादगंज थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र 19 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से 10,000 रुपये (जिनके बारे में बताया ये कठारा गांव से चोरी की थी, उसी के बचे हुए रुपये हैं), 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ।

अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। जिस पर कूट रचित नम्बर प्लेट लगी हुई है।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे एक संगठित ग्रुप में घूम-घूमकर दूरदराज के गांवों एवं कस्बों में रैकी करते हैं तथा रात के समय ऐसे सूने मकानों को निशाना बनाते हैं, जिनमें प्रवेश एवं निकास आसान हो। पूर्व में मोटरसाइकिलों से चोरी करने जाते थे, जबकि कुछ माह पूर्व नौशाद ने चोरी की रकम से स्कॉर्पियो खरीदी है। वारदात के दौरान कुछ साथी मुख्य मार्ग पर वाहन खड़ा कर निगरानी करते हैं तथा अन्य साथी मकानों के ताले, दरवाजे एवं सेफ/अलमारियां तोड़कर चोरी करते हैं। चोरी की नकदी आपस में बांट लेते हैं तथा सोने-चांदी के आभूषण अमन सोनी उर्फ अभयराज निवासी बिधूना को देते हैं, जो उन्हें गलाकर बेचने के बाद तय हिस्से के अनुसार रकम देता है। अभियुक्तों ने बताया कि उनके द्वारा जुलाई माह में एचडीएफसी बैंक के सामने कस्बा रूरा, ग्राम कठारा रोशनमऊ थाना रूरा, ग्राम बन्सनपुरवा थाना अकबरपुर, ग्राम सनाया खेड़ा थाना मूसानगर, चकचालपुर थाना भोगनीपुर, कलैनापुर थाना बरौर तथा ग्राम मुजफ्फरपुर संदलपुर, जसापुर व जैतापुर थाना मंगलपुर आदि स्थानों पर चोरी की घटनाएं की गई हैं। उक्त घटनाओं से प्राप्त नकदी एवं चोरी के कुछ आभूषण/सामान उनके पास बचे हुए थे, जिनमें से कुछ पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि अमन सोनी उर्फ अभयराज चोरी के सोने-चांदी के सामान को ठिकाने लगाता है। अभियुक्तों के कथनानुसार अमन सोनी से आज दिनांक 05.09.2026 प्रातः करीब 04:00 बजे गैंदामऊ चौराहा के पास देवस्थान पर मिलने की बात थी। समय निकट होने पर पुलिस टीम अभियुक्तों को साथ लेकर उक्त स्थान की ओर रवाना हुई। चौराहे से करीब 200 मीटर पूर्व देवस्थान के पास एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे अभियुक्त नौशाद ने अमन सोनी के रूप में पहचान की। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर घेरकर पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति ने अभयराज उर्फ अमन सोनी पुत्र संजीव सिंह चौहान मूल निवासी ग्राम भिखरा हालनिवास मोहल्ला कछपुरा कस्बा व थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र करीब 29 वर्ष बताया, जिसकी जामा तलाशी से 40,000 रूपये (जिनके बारे में बताया कि नौशाद और उसके साथियों ने कठारा रूरा में कोई बड़ी चोरी की थी, उसका माल गलाया था, जिसकी बची पेमेण्ट नौशाद और उसके साथियों को देने के लिए लाया हूँ), 01 मोबाइल फोन, अन्य जेब से 16,000/- रूपये (जिनके बारे में बताया कि नौशाद व उसके साथियों ने भोगनीपुर में चोरी का माल लाकर मुझे दिया था, जिसका रूपया नौशाद आदि को देने के लिए है), अन्य जेब से 10 हजार रूपये व 01 जोड़ी तोड़िया सफेद धातु की बरामद हुई (जिसके बारे में बताया कि यह संदलपुर के किसी गाँव में चोरी की थी, जिसकी पेमेण्ट है, इसके साथ जो तोड़िया की जोड़ी है, वह इन लोगों को वापस करनी है)। मैं इन लोगों से अपने घर या दुकान पर नहीं मिलता हूँ, जब कभी इनका वादा होता है तो वादे के मुताबिक मिलने आता हूँ तथा इनका पेमेण्ट लेकर आता हूँ और इनसे चोरी का माल खरीदकर ले जाता हूँ। कुछ रकम एडवांस के रूप में कभी-कभी इनकी जरूरत के मुताबिक दे देता हूं। बाकी पेमेण्ट माल के बिक्री होने के बाद देता हूँ। इनका माल खरीदकर बेचने में मुझे काफी मुनाफा होता है।

बरामदगी के आधार पर थाना रूरा पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 257/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस. में धारा 318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी, 2. मु0अ0सं0 270/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस में धारा 318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियुक्तों को क्रमशः नौशाद अली उर्फ छोटे अली एवं अरमान उर्फ अदनान पुत्र कल्लू खाँ को मु0अ0सं0 257/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस व मु0अ0सं0 270/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में एवं अनुज यादव, आजाद उर्फ रजोल पुत्र हबीब अली को मु0अ0सं0 257/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस व अभियोग मु0अ0सं0 270/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस तथा अमन अली पुत्र रहीश अली को अभियोग मु0अ0सं0 270/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317(4)/317(5)/3(5) बीएनएस एवं अभयराज उर्फ अमन सोनी को उसके जुर्म धारा 318(4)/317(2)/317(4)/317(5)/3(5) से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया। थाना अकबरपुर की बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 489/2025 धारा 305 बीएनएस, थाना मूसानगर की बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 88/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस, थाना भोगनीपुर से की बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 258/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस, थाना मंगलपुर की बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 240/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस, थाना बरौर की बरामदगी से सम्बन्धित मु0अ0सं0 70/2026 धारा 305(ए) बीएनएस में संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों से बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रूरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण-

1. नौशाद अली उर्फ छोटे अली पुत्र हबीब अली निवासी ग्राम देवरांव थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 24 वर्ष
2. अरमान उर्फ अदनान पुत्र कल्लू खाँ निवासी पक्का बाग साईं बिहार कॉलोनी थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष
3. अनुज यादव पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम गहेसर थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र 27 वर्ष
4. आजाद उर्फ रजोल पुत्र हबीब अली निवासी देवरांव थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र 19 वर्ष बताया
5. अमन अली पुत्र रहीश अली निवासी तकिया मोहल्ला दलेल नगर मुरादगंज थाना अजीतमल जनपद औरैया उम्र 19 वर्ष
6. अभयराज उर्फ अमन सोनी पुत्र संजीव सिंह चौहान मूल निवासी ग्राम भिखरा हालनिवास मोहल्ला कछपुरा कस्बा व थाना बिधूना जनपद औरैया उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. मु0अ0सं0 257/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 जोड़ी पायल सफेद धातु व 6,000/- रूपये नगद
2. मु0अ0सं0 270/2026 धारा 305(ए)/331(4)/318(4)/317(2)/317((4)/317(5)/3(5) बीएनएस थाना रूरा से सम्बन्धित 01 नोजपिन पीली धातु, 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 50 हजार रूपये नगद
3. मु0अ0सं0 489/2025 धारा 305 बीएनएस थाना अकबरपुर से सम्बन्धित 06 सिक्के सफेद धातु
4. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना मूसानगर से सम्बन्धित 02 जोड़ी तोड़िया
5. मु0अ0सं0 258/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना भोगनीपुर से सम्बन्धित 01 नोजपिन पीली धातु, 26 हजार रूपये नगद
6. मु0अ0सं0 240/2026 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस थाना मंगलपुर से सम्बन्धित 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 15 हजार रूपये नगद
7. मु0अ0सं0 70/2026 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बरौर से सम्बन्धित 01 कड़ा सफेद धातु व 03 गुच्छे कमरपेटी के हिस्से सफेद धातु
8. 02 अवैध तमन्चा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मिस कारतूस 315 बोर, 02 आला नकब, 06 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 स्कॉर्पियो कूट रचित नम्बर प्लेट के साथ (एमवी एक्ट के तहत सीज)

अभियुक्त नौशाद अली उर्फ छोटे अली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 206/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया

अभियुक्त आजाद उर्फ रजोल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 238/2026 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना औरैया जनपद औरैया

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा, एसओजी व सर्विलांस पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुधीर भारद्वाज
2. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह
3. उ0नि0 श्री शिव बहादुर सिंह
4. उ0नि0 श्री राजाराम
5. आरक्षी सुधीर छौंकर
6. आरक्षी सुरेश
7. आरक्षी कृष्णा चौधरी
8. आरक्षी पंकज उपाध्याय
9. आरक्षी सुरेन्द्र कुमार
10. आरक्षी राहुल कुमार
11. आरक्षी अनिल कुमार
12. आरक्षी सर्वेश कुमार
13. आरक्षी नितिन कुमार
14. मु0आ0 चालक रामपाल
15. चालक सर्वेन्द्र कुमार
16. एसओजी व सर्विलांस टीम